

—: आदेश:—

The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के Chapter II Section 4 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, 4-विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ हेतु निम्न "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaints Committee) का गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती सुविद्या गुप्ता	ज्वाइन्ट कमिश्नर/संयुक्त निदेशक	अध्यक्ष
2. श्रीमती मधुबाला	डिप्टी कमिश्नर/उप निदेशक	सदस्य
3. श्रीमती शांभवी शुक्ला	डिप्टी कमिश्नर/उप निदेशक	सदस्य
4. श्री जी०एन० राय	डिप्टी कमिश्नर/उप निदेशक	सदस्य
5. श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	राज्य कर अधिकारी	सदस्य
6. श्रीमती सुमति वर्मा	वरिष्ठ सहायक	सदस्य
7. सुश्री मनीषा भाटिया	प्रोग्राम ऑफिसर NGO-"Action Aid Association"	सदस्य

Email-id- bhatia@actionaid.org

Address-Action Aid Association 3/327

Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone-0522-4101349

0522-4113595

0522-4113499

Mob. No. 9532735224

समिति यथावश्यकतानुसार अपनी बैठकें आहूत करके प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में

यथोचित कार्यवाही करेगी।

(अरविन्द कुमार)

अपर निदेशक

राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/स्थापना/नजारत) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
2. उक्त समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्यों को (नाम से)।
3. असिस्टेंट कमिश्नर (आई०टी०), राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट हेतु।
4. प्राप्ति/प्रेषण लिपिक को संस्थान के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नोट कराए जाने एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु।

अपर निदेशक

राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।